

05.09.18

वकील अफी- या स्वयं अपीलान्त कोई उपस्थित
नहीं है। अफी- ने पूर्व में राजीनामा पेश किया
था जो शामिल पत्रावली है। रेलवे-सं. उभय
की ओर से श्री महेश चन्द कुंदेश ने वकीलता में
पेश किया। अफी- को बार-बार बावोज
दिलाई गई। अफी- की ओर से कोई
उपस्थित नहीं आया। बात: अपील अफी-
अदम लजरी व अदम फरवी के खारिज
की जाती है। पत्रावली के सब शुमार होकर
बाद वकील जाब्ता हालाँकि दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर